न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 2 अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- रिद्धिमा शर्मा (जिला न्यायाधीश कैडर)

सेशन प्रकरण सं.- 47/2018

सी.एन.आर.नं. RJAL010046672018

सी.आई.एस. नम्बर- 105/2018

सरकार बनाम
1. जसवंत सिंह पुत्र करतार सिंह,
2. बेअन्त सिंह पुत्र करतार सिंह,
3. हरपाल सिंह पुत्र जसवंत सिंह,
निवासीगण पाटा, पुलिस थाना नौगांवा, जिला अलवर (राजस्थान),

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324, 307, 308 सपठित धारा 34 भा.दं.सं एवं धारा 7/25 आयुध अधिनियम

उपस्थितः-

01. श्री महेश चंद मीना, अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
02. श्री भूपसिंह पोसवाल, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

-नि र्ण य- दिनांक- 04-08-2026

01. यह सेशन प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय अलवर के न्यायालय से अभिययुक्तगण जसवंत सिंह वगैरह के विरूद्ध अन्तरित होकर दिनांक 07-09-2018 को इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 27-05-2018 को परिवादी बलविन्द्र सिंह ने पुलिस थाना नौगांवा पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि आज दिनांक 27-05-2018 वार इतवार सुबह करीब 6.00 बजे उसके पिता गुरनाम सिंह और माता कृपाल कौर अपने घर के बाहर परचून की दुकान को खोलने गये थे कि जैसे ही दुकान की शटर खोली ही थी कि दुकान पर जसवंत सिंह आया और आते ही बिना वजह से उसके माता-पिता को गालियां देने लगा। उन दोनों ने कहा कि गालियां क्यों दे रहे हो तो जसवंत सिंह उनसे हाथापाई करने लगा और इतने पहले से झगडे को तैयार बैठे जसवंत सिंह के परिवार वाले हरपाल सिंह, हरमीत सिंह

(बग्गा), बेअन्त सिंह, वीरोबाई, छिन्दो बाई व नसरू हाथों में लाठी, फर्सी, कसिया व तलवार आदि लेकर उसके पिताजी गुरनाम सिंह व माता कृपाल कौर पर जसवंत सिंह ने कसिया अपने परिवार से लेकर उसके पिता के सिर में मारा, जिससे उसके सिर में दो जगह व माताजी को हरपाल व हरमीत सिंह ने फर्सी व कसिया से वार किया, जो उसके सिर में चोट लगी। शौर मचने पर घर में सो रहे भाई जितेन्द्र सिंह व परिवादी बाहर आये तो आते ही इन लोगो ने उन दोनों भाईयों को घेर लिया और लाठी, फर्सी व अन्य हथियारों से उनपर भी हमला कर दिया। इनके साथ में नसरूदीन, वीरोबाई तथा बेअन्त सिंह ने लाठी, कसिया उन पर चलाये, जो बचते-बचते उसके व उसके भाई के सिर में चोट लगी और कहते रहे कि इनको जान से मार दो। परिवादी के माता-पिता व भाई और परिवादी अलवर सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं.....इत्यादि।

03. उक्त रिपोर्ट पर मुकामी पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 147/2018 अन्तर्गत धारा 143, 323, 341, 308 भारतीय दण्ड़ संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त जसवंत सिंह के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 308/34 भा.दं.सं. एवं धारा 7/25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्तगण बेअन्त सिंह व हरपाल सिंह के विरूद्ध धारा 341, 323, 324, 307, 308/34 भा.दं.सं. के अपराधों में आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट रामगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण यह प्रकरण सेशन न्यायाधीश अलवर को उपार्पित किया गया। कालांतर में विधिवत् सुनवाई हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. अभियुक्त जसवंत सिंह को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 341, 323, 323/34, 324, 324/34, 307, 307/34, 308, 308/34 भा.दं.सं. एवं धारा 7/25 आयुध अधिनियम तथा अभियुक्तगण बेअन्त सिंह व हरपाल सिंह को आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 341, 323, 323/34, 324, 324/34, 307, 307/34, 308, 308/34 भा.दं.सं. के पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में निम्न गवाह पेश कर परीक्षित करवाये गये-

क्र.सं.	पी.डब्ल्यू सं.	गवाह का नाम
1.	पी.डब्ल्यू-1	बलविन्दर सिंह
2.	पी.डब्ल्यू-2	जितेन्द्र सिंह
3.	पी.डब्ल्यू-3	कृपाल कौर
4.	पी.डब्ल्यू-4	गुरनाम सिंह
5.	पी.डब्ल्यू-5	मलकीत सिंह
6.	पी.डब्ल्यू-6	परमजीत सिंह
7.	पी.डब्ल्यू-7	सतीश खान
8.	पी.डब्ल्यू-8	डॉ० रवि माथुर
9.	पी.डब्ल्यू-9	रविन्द्र कुमार
10.	पी.डब्ल्यू-10	शिवचरण
11.	पी.डब्ल्यू-11	दयासिंह
12.	पी.डब्ल्यू-12	राजेश कुमार जाटव
13.	पी.डब्ल्यू-13	भूपेन्द्र सिंह
14.	पी.डब्ल्यू-14	सुरेश कुमार
15.	पी.डब्ल्यू-15	विशांत जैन

06. अभियोजन पक्ष की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाये गये-

क्र.सं.	प्रदर्श सं.	विवरण दस्तावेज
1-	प्रदर्श पी-1	तहरीरी रिपोर्ट
2-	प्रदर्श पी-2	चाक एफ.आई.आर.
3-	प्रदर्श पी-3	घटनास्थल का नक्शा मौका
4-	प्रदर्श पी-4	चोट प्रतिवेदन बलविन्दर सिंह
5-	प्रदर्श पी-5	चोट प्रतिवेदन जितेन्द्र सिंह
6-	प्रदर्श पी-6	चोट प्रतिवेदन कृपाल कौर
7-	प्रदर्श पी-7	चोट प्रतिवेदन गुरनाम सिंह

8-	प्रदर्श पी-8	पुलिस बयान सतीश
9-	प्रदर्श पी-8	एक्स-रे रिपोर्ट जितेन्द्र सिंह
10-	प्रदर्श पी-9	एक्स-रे रिपोर्ट कृपाल कौर
11-	प्रदर्श पी-10	एक्स-रे रिपोर्ट गुरनाम
12-	प्रदर्श पी-11	आर्मोरर रिपोर्ट
13-	प्रदर्श पी-11	फर्द गिरफतारी अभियुक्त हरपाल सिंह
14-	प्रदर्श पी-12	फर्द गिरफतारी अभियुक्त जसवंत सिंह
15-	प्रदर्श पी-13	फर्द गिरफतारी अभियुक्त बयन्त सिंह
16-	प्रदर्श पी-14	फर्द इत्तिला अभियुक्त जसवंत सिंह
17-	प्रदर्श पी-15	फर्द इत्तिला अभियुक्त बेअन्त सिंह
18-	प्रदर्श पी-16	फर्द इत्तिला अभियुक्त हरपाल सिंह
19-	प्रदर्श पी-17	फर्द जब्ती व बरामदगी एक बन्दूक 12 बोर इकनाली मुलजिम जसवंत सिंह
20-	प्रदर्श पी-18	फर्द जब्ती एवं बरामदगी एक लाठी बांस अभियुक्त बेअन्त सिंह
21-	प्रदर्श पी-19	फर्द जब्ती व बरामदगी एक कासिया अभियुक्त हरपाल सिंह
22-	प्रदर्श पी-20	बरामदगी स्थल का नक्शा मौका
23-	प्रदर्श पी-21	एफ.एस.एल.प्राप्ति रसीद
24-	आर्टिकल-1	एक 12 बोर की बंदूक एकनाली
25-	आर्टिकल-2	एक बांस की लाठी
26-	आर्टिकल-3	एक कसिया लोहे का
27-	कोर्ट प्रदर्श-1	एफ.एस.एल.रिपोर्ट दिनांक 24-09-2018

07. अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताया और साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहा। पुलिस बयान जितेन्द्र सिंह प्रदर्श डी-1, पुलिस बयान बलविन्द्र सिंह प्रदर्श डी-2 प्रदर्शित करवाये गये। अभियुक्तगण का अतिरिक्त बयान मुलजिम लिये जाने पर एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 24-09-2018 को कोर्ट प्रदर्श-1 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया।

08. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि-

(1) क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27-05-2018 को समय सुबह के करीब 6.00 बजे ग्राम पाटा में परिवादी बलविन्दर सिंह के घर के बाहर बलविन्दर सिंह, गुरनामसिंह, कृपाल कौर व जितेन्द्र सिंह को जाते हुए को रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं आहतगण के साथ स्वेच्छया कुन्द हथियारों से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में आहतगण गुरनामसिंह, कृपाल कौर व जितेन्द्र सिंह के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

(2) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय एवं ज्ञानपूर्वक आहत गुरनामसिंह के ऊपर अभियुक्त जसवंत सिंह ने बन्दूक 12 बोर से फायर किया, जिससे यदि गुरनाम सिंह की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते और इस प्रकार सामान्य आशय को अग्रसर करने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण द्वारा आहत गुरनाम सिंह की हत्या का प्रयत्न किया गया?

(3) क्या अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय एवं ज्ञानपूर्वक यह जानते हुए कि मारपीट से आहत गुरनाम सिंह की मृत्यु हो सकती है, उसके साथ मारपीट की। यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या न होने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते?

(4) क्या दिनांक 02-07-2018 को समय 9.00 ए.एम. पर ग्राम पाटा स्थित अभियुक्त जसवंत सिंह के रिहायशी मकान के कमरे में से अभियुक्त जसवंत के चैतन्य व अनन्य कब्जे से एक बन्दूक 12 बोर बिना वैध अनुज्ञापत्र के बरामद हुई?

(5) यदि हाँ तो उपयुक्त दण्ड क्या होगा?

09. उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में विद्वान अपर लोक अभियोजक ने तर्क दिया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर कठोर

दण्ड से दण्डित किया जावे।

10. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि मामले में अभियुक्त पक्ष अग्रसर नहीं है, दोनों पक्ष में मारपीट हुई है। परिवादी पक्ष के भी चोटें आई हैं और क्रोस मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यायालय में स्वंय आहत गुरनाम सिंह एवं अन्य मजरूबान अभियुक्त जसवंत सिंह द्वारा आहत गुरनाम सिंह के ऊपर बन्दूक से फायर करना बताते हैं, जबकि तहरीरी रिपोर्ट व गवाहान के धारा 161 द.प्र.सं. के कथनों में ऐसी कोई लैस मात्र भी साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त जसवंत सिंह द्वारा आहत गुरनाम सिंह के ऊपर बंदूक से फायर किया गया हो। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान बढ चढकर साक्ष्य देते हैं और उनकी साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास आया है। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषमुक्त घोषित किया जावे।

11. उभय पक्षों को तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम यहां यह विवेचित किया जाता है कि इस प्रकरण के साथ-साथ ही क्रोस केस सरकार बनाम बलिवन्दर सिंह वगैरह अन्तगर्त धारा 323, 341 भा.दं.सं. का भी निस्तारण किया जा रहा है।

12. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 बलविन्दर सिंह, पी.ड.2 जितेन्द्र सिंह, पी.ड.3 कृपाल कौर एवं पी.ड.4 गुरनाम सिंह मजरूबान हैं, जो कि प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाहान हैं। प्रकरण में उक्त गवाहान की साक्ष्य का सर्वप्रथम विवेचन किया जाना आवश्यक है-

13. गवाह पी.ड.1 बलविन्दर सिंह जो कि मजरूब भी है, अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि दिनांक 27.05.2018 को सुबह करीब 06.00 बजे उसके पिताजी परचून की दुकान खोलने के लिए गये थे। उसकी माता जी वहीं दुकान के पास झाडू लगा रही थी, तभी वहां पर जसवंतसिंह आया और उसके माता-पिता को बिना बात गाली-गलौच करने लग गया। उसके माता-पिता ने कहा कि गाली क्यों दे

रहे हो, तो इतने में ही अभियुक्त के अन्य परिवारजन, जो झगडे के लिए तैयार बैठे थे, जिनमें हरपालसिंह, जसवंतसिंह, बेअंतसिंह, हरप्रीतसिंह उर्फ बग्गा एवं उनके परिवार की महिलाओं में बीरोबाई, छिंदाबाई, नसरूदीन सभी हाथों में हथियार लेकर आ गये, जिनमें जसवंतसिंह के पास बंदूक थी, जिसने आते ही उसके पिता के ऊपर बंदूक से गाली चलाई, जो पिताजी के सिर पर लगी। हरपालसिंह व हरप्रीतसिंह उर्फ बग्गा ने आते ही उसके माता-पिता पर कसिया और फर्सी से वार किया, जिससे उसकी माताजी के सिर में दो जगह चोट आई। बेअंतसिंह ने उसके भाई जितेन्द्रसिंह के सिर पर कसिये से मारी। उसके जसवंतसिंह व हरपाल ने कसिया व फर्सी से सिर पर मारी। नसरू खां ने उसके भाई के लाठी से मारी थी। अभियुक्तगण यह बात कर रहे थे कि इन लोगों को जान से मार दो तथा इन्हें जिन्दा मत छोडो। अभियुक्तगण के पास लाठी, कसिया, फर्सी, बंदूक और अन्य धारदार हथियार थे, जिनसे उन पर हमला किया था। हल्ला मचने पर गांव वाले परमजीत सिंह, मलकीतसिंह व सतीश खां ने आकर बीच-बचाव कराया। उसके पिताजी को जयपुर रैफर कर दिया। अभियुक्तगण अवैध शराब का धंधा करते हैं तथा हथकड शराब बनाते हैं, इस कारण उन्होंने उनकी शिकायत एस.पी. साहब को लिखित में दी थी, इसलिये वे नाराज होकर उनसे रंजिश रखते हैं तथा उन्हें मारना चाहते हैं। अभियुक्तगण उन्हें रास्ते में रोककर बंदूक व देशी कट्टा दिखा कर धमकाते रहते हैं तथा राजीनामा के लिए दबाव डालते हैं। उनसे कहते हैं कि पैसे ले लो और मुकदमा को खत्म कर दो। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दर्ज करवाई थी, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 है। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 है। उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था, जो प्रदर्श पी-4 है। वह अभियुक्तगण जसवंतसिंह, हरपालसिंह व बेअंतसिंह को पहचानता है, जिनमें जसवंतसिंह व हरपाल सिंह हाजिर अदालत हैं। ये वही अभियुक्तगण हैं, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। अन्य अभियुक्त बेअंतसिंह आज हाजिर अदालत नहीं है, जिसको भी वह पहचानता है।

14. प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य देता है कि वह थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था, उसने जो तहरीरी रिपोर्ट लिखी, वह पुलिस वालों ने नहीं ली, प्रदर्श पी-1 में क्या लिखा, उसे पता नहीं है, उसके हस्ताक्षर

करवाये थे। उसके शरीर पर चार-पांच चोटें आई थी, जो उसने डॉक्टर को बताई थी। उसके पुलिस में बयान हुए थे। प्रदर्श डी-2 में बंदूक से फायर करने वाली बात मुख्य परीक्षण में लिखी हुई है, जो प्रदर्श डी-2 में नहीं लिखी, जिसका वह कारण नहीं बता सकता। इस तथ्य से इनकार किया है कि मुलजिमान के खिलाफ रंजिश के कारण मुकदमा दर्ज किया हो।

15. मजरूब पी.ड.2 जितेन्द्र अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसके गांव के कुछ लोग हथकड शराब बनाते हैं एवं अवैध शराब का धंधा करते हैं, जिनमें जसवंतसिंह, बेअंतसिंह, हरमीतसिंह, हरपालसिंह हैं। इनका मकान उनके मकान के पास में ही है। उन्होंने इन लोगों के खिलाफ शराब बेचने से रोकने के लिए एक शिकायत एसपी साहब को लिखित में की थी। अभियुक्तगण उनसे रंजिश रखते हैं, क्योंकि उसकी माता ने इनके खिलाफ लिखित में रिपोर्ट पुलिस में दी थी। दिनांक 27.05.2018 को सुबह करीब 06.00 बजे उसके पिताजी परचून की दुकान खोल रहे थे और उसकी माता वहां झाडू लगा रही थी। उसी समय जसवंतसिंह आया और उसने आते ही उसके माता-पिता से गाली-गलौच की। उसके माता-पिता ने रोका तो वह हाथापाई करने लगा। उसी समय अभियुक्त के परिवार के लोग जसवंतसिंह, बेअंतसिंह, हरपालसिंह, हरमीत उर्फ बग्गासिंह, बीरोबाई, छिंदोबाई, नसरूदीन हाथों में लाठी, फर्सी, कसिया, बंदूक व अन्य धारदार हथियार लेकर आ गये। हल्ला होने पर वह और उसका भाई बलविन्दर सिंह बाहर आ गये। इन लोगों ने आते ही उनके साथ झगडा किया, जिसमें जसवंतसिंह ने उसके पिताजी के सिर में बंदूक से गोली मारी, जिससे उसके पिताजी गिर गये। बंदूक की गोली का छर्रा उनके सिर में लगा, जो आज भी फंसा हुआ है। उसके बाद जसवंतसिंह ने बंदूक अपनी घरवाली को पकडा ली तथा कसिया व फर्सी से जसवंतसिंह और हरपालसिंह ने उसके भाई बलविन्दर के सिर में मारी। जैसे ही वह बीच-बचाव कराने आया तो बेअंतसिंह ने उसके सिर पर कसिये से मारी तथा अन्य अभियुक्तगण ने भी उनके ऊपर लाठी, फर्सी, डण्डे व बंदूक से मारना शुरू कर दिया और कहा कि-इन लोगों को जान से खत्म कर दे, ये लोग बचने नहीं चाहिए। उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था, जो प्रदर्श पी-5 है। उसकी चोटों का एक्सरे

भी हुआ था, जो शामिल पत्रावली है। वह अभियुक्तगण को पहचानता है, जो उनके गांव के हैं। अभियुक्तगण में से जसवंतसिंह व हरपालसिंह हाजिर अदालत हैं, ये वही अभियुक्तगण हैं, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया था तथा एक अन्य अभियुक्त बेअंतसिंह आज हाजिर अदालत नहीं है, उसको वह पहचानता है।

16. अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि झगडा परचून की दुकान पर हुआ था, हल्ला होने पर वे दोनों भाई साथ-साथ पहुंचे थे। गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया है कि जब वे पहुंचे तब उनके माता-पिता घायल अवस्था में पडे हुए हो। उसके सिर में एक चोट आई थी, बाकी लाठी डण्डो से आई थी। घटना में उसके बयान दो दिन बाद दिनांक 29-05-2018 को हुए थे। प्रदर्श डी-1 में बंदूक से फायर कर उसके पिता के चोट कारित करने की बात नहीं लिखी है, इसका वह कारण नहीं बता सकता है। मुलजिमान का क्रोस केस चल रहा है, जिसमें वे मुलजिम हैं।

17. मजरूबा पी.ड.3 कृपाल कौर अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य देती है कि दिनांक 27.05.2018 को सुबह करीब 06.00 बजे वह व उसका पति परचून की दुकान खोल रहे थे। दुकान घर में ही गेट के पास है। जसवंतसिंह, हरपालसिंह, हरमीतसिंह, बेअंतसिंह, नसरूदीन, छिन्दोबाई व वीरोबाई उनकी दुकान पर आ गये और गाली-गलौच करने लगे गये। उन्होंने कहा कि झगडा क्यों कर रहे हों तो इतनी देर में नसरूदीन बोला कि जसवंत सिंह क्या देखते हो इसको बंदूक मारो। आते ही उसके पति पर जसवंतसिंह ने बंदूक की सिर में मारी। इतनी देर में जब वह बीच-बचाव कराने गई तो उसका पति खडा होने लगा तो हरपालसिंह ने उसके पति के सिर में फर्सी की मारी। फिर वह बीच-बचाव के लिए गई तो उसके हरपाल ने कसिया से सिर पर मारी व हरमीत ने बरसी से सिर पर मारी। लडका बलविन्दरसिंह बीच-बचाव कराने आया तो उसके जसवंतसिंह ने कसिया से सिर पर मारी व हरपाल ने भी सिर पर बरसी की मारी। जितेन्द्रसिंह बीच-बचाव कराने आया तो बेअंतसिंह ने कसिया से सिर पर मारी तथा नसरूदीन ने लट्ठो से मारा और बीरोबाई व छिन्दोबाई ने लट्ठो से उन सभी को मारा। नसरूदीन बोला कि ये अभी जिन्दा हैं, इन्हें मारो। हाजिर अदालत तीनों अभियुक्तगण जसवंतसिंह, हरपालसिंह व बेअंत सिंह को

वह पहचानती है। उसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना हुआ था, जो प्रदर्श पी-6 है। उसकी चोटों का एक्सरे भी हुआ था।

18. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसके शरीर पर दो चोटें आई थी। कासिया व फर्सी अलग-अलग होती हैं, कासिया फावडा जैसा होता है।

19. मजरूब पी.ड.4 गुरनाम सिंह अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 27.05.2018 को सुबह करीब 06.00 बजे वह दुकान खोल रहा था तथा उसकी पत्नि झाड़ू लगा रही थी। उसी समय हरपाल, हरमीत, जसवंतसिंह, जसवंतसिंह की पत्नि वीरो और, बेअंतसिंह, बेअंतसिंह की पत्नि छिन्दो व नसरूदीन आये और गाली-गलौच की। जसवंतसिंह ने बंदूक से उसके ऊपर फायर किया, जिससे बंदूक की गोली उसके सिर में लगी। उसके बाद हरपाल ने उसके सिर पर तलवार से मारी। हरपाल ने उसकी पत्नि के पांव में मारी। बीच-बचाव कराने मलकीत व परमजीत आये थे। उसके बेटे बलविन्दर व जितेन्द्र भी बीच-बचाव कराने आये तो बलविन्दर के हरमीत ने कसिया से मारी। बेअंत सिंह व हरमीत ने उसक दूसरे बेटे जितेन्द्र सिंह को कसिया से मारी। नसरू व बेअंत सभी को मारने लग गये। नसरू ने कहा कि इन लोगों को मार दो, इन्हें छोडो मत। अभियुक्तगण शराब बेचते थे, जिसकी शिकायत उसने एसपी से की थी, जिस कारण ये लोग उनसे रंजिश रखते हैं। उसका मेडीकल मुआयना हुआ था, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है। उसकी चोटों का एक्सरे भी हुआ था। हाजिर अदालत तीनों अभियुक्तगण जसवंतसिंह, हरपालसिंह व बेअंतसिंह को वह पहचानता है।

20. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसके घटना के दौरान दो चोटें आई थी, एक माथा पर व एक सिर में पीछे की तरफ लगी थी। गवाह ने इस तथ्य से इनकार किया है कि झगडा सडक पर उनके व मुलजिमान के घर के बीच में हुआ हो बल्कि उनकी दुकान पर हुआ था। गवाह ने इस तथ्य को भी गलत होना बताया है कि उसके सिर पर छर्रे की कोई चोट नहीं आई हो, बल्कि उसके चोट आई थी, जिसके निशान अभी भी हैं। उसकी पत्नी के हरपाल ने सिर में तलवार से मारी, पैर में नहीं मारी। उसने मुख्य बिन्दु में पत्नी के हरपाल द्वारा पैर में मारना गलत लिखाया है।

21. गवाहान पी.ड.5 मलकीत सिंह, पी.ड.6 परमजीत सिंह एवं पी.ड.7 सतीश खान चमश्दीद गवाहान हैं, जिनमें पी.ड.5 मलकीत सिंह अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य देता है कि दिनांक 27.05.2018 को सुबह 06.00 बजे की बात है।दिनांक 27.05.2018 को सुबह 06.00 बजे की बात है। अचानक गोली चलने की आवाज आई। वह भाग कर बाहर आया और देखा कि जसवंत सिंह के हाथ में बंदूक थी। गुरूनाम सिंह जमीन पर गिरा पडा था। इतने में हरपालसिंह व बेअंतसिंह ने लाठी, कसिये से गुरूनाम सिंह पर वार किया। वहीं कृपाल कौर झाड़ू लगा रही थी। वह गुरूनामसिंह को बचाने आई। बेअंतसिंह व हरपालसिंह ने कृपाल कौर को भी लाठी और कसिये से मारा। जितेन्द्रसिंह व बलविन्द्रसिंह आये तो हरपालसिंह व बेअंतसिंह ने जितेन्द्रसिंह व बलविन्द्रसिंह को लाठी व कसिये से मारा। मारने वालों में नसरूदीन, इसराईल खान, छिन्दो बाई, बेअंतसिंह, वीरोबाई, हरमीतसिंह उर्फ बग्गा थे। नसरूदीन कह रहा था कि गुरूनामसिं को जान से मार दो। वे गुरूनामसिंह, कृपालकौर, बलविन्द्रसिंह व जितेन्द्रसिंह को अस्पताल लेकर गये थे। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-3 है। अचानक गोली चलने की आवाज आई। वह भाग कर बाहर आया और देखा कि जसवंत सिंह के हाथ में बंदूक थी। गुरूनाम सिंह जमीन पर गिरा पडा था। इतने में हरपालसिंह व बेअंतसिंह ने लाठी, कसिये से गुरूनाम सिंह पर वार किया। वहीं कृपाल कौर झाड़ू लगा रही थी। वह गुरूनामसिंह को बचाने आई। बेअंतसिंह व हरपालसिंह ने कृपाल कौर को भी लाठी और कसिये से मारा। जितेन्द्रसिंह व बलविन्द्रसिंह आये तो हरपालसिंह व बेअंतसिंह ने जितेन्द्रसिंह व बलविन्द्रसिंह को लाठी व कसिये से मारा। मारने वालों में नसरूदीन, इसराईल खान, छिन्दो बाई, बेअंतसिंह, वीरोबाई, हरमीतसिंह उर्फ बग्गा थे। नसरूदीन कह रहा था कि गुरूनामसिंह को जान से मार दो। वे गुरूनामसिंह, कृपालकौर, बलविन्द्रसिंह व जितेन्द्रसिंह को अस्पताल लेकर गये थे। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-3 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

22. प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि जब गोली चली तब वह सो रहा था। उसने गोली चलाते हुए किसी को नहीं देखा, केवल आवाज सुनी थी। गोली चलने के पांच-सात मिनट बाद वह घटनास्थल पर

पहुंचा था। झगडे में दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई थी। जसवंत के चोटें नहीं आई और ना ही उसने उसके चोटें देखी थी।

23. चश्मदीद गवाह पी.ड.6 परमजीत सिंह अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देता है कि दिनांक 27.05.2018 को सुबह करीब 5.30-06.00 बजे की बात है। वह सुबह गुरूद्वारे जा रहा था। रास्ते में देखा कि झगडा हो रहा था। झगडा गुरनामसिंह व जसवंतसिंह के परिवार के बीच हो रहा था। जसवंतसिंह के हाथ में बंदूक थी, जिसने फायर किया था, जिसके छर्रे गुरनामसिंह को लगे। इसके आलवा हरपालसिंह, हरमीतसिंह, बेअंतसिंह, नसरूदीन, छिन्द्रो व वीरो बाई थी। किसी के पास लाठी, किसी के पास कसिया था। ये जितेन्द्रसिंह तथा गुरनामसिंह और कृपाल कौर को मार रहे थे। वहां बलविन्द्र सिंह भी मौजूद था, उसे भी चोट आई थी।

24. प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि गुरनाम सिंह के छर्रे माथा पर लगे थे। शरीर के अन्य जगह में भी लगे, जिनका उसे ध्यान नहीं है।

25. चश्मदीद गवाह पी.ड.7 सतीश खान पक्षद्रोही घोषित हुआ है और यह साक्ष्य देता है कि उसने कोई घटना होते हुए नहीं देखी, उसने बाद में सुना था कि जसवंत और गुरनामसिंह के परिवार के बीच में झगडा हुआ था। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

26. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये चिकित्सकीय साक्ष्य में गवाह पी.ड.8 डॉक्टर रवि माथुर अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 29.05.2018 को वह सामान्य चिकित्सालय, अलवर में मेडीकल ज्यूरिष्ठ के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना-नौगांवा की तहरीर पर जितेन्द्रसिंह की चोटों का मुआयना किया था, जिसके शरीर पर कुल 02 चोटें थी, जिनमें से चोट संख्या-1 सिर के मध्य पैराईटल भाग पर टांके लगा जख्म था, जिसके किराने लगातार थे, जो 5 x 1/2 सेमी. आकार का था तथा चोट संख्या-2 बांये कंधे में दर्द तथा टेण्डरनेस थी। चोट संख्या-1 धारदार हथियार से कारित थी। चोट संख्या-2 कुंद हथियार से कारित थी तथा साधारण प्रकृति की थी। मजरूब का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 है। मजरूब की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। मजरूब की

चोट संख्या-1 साधारण प्रकृति की पाई गयी थी।

27. उसी दिन श्रीमती कृपाल कौर की चोटों का मुआयना किया था, जिसके शरीर पर कुल 02 चोटें थी, जिनमें से चोट संख्या-1 सिर में दांई फ्रेटोपैराईटल भाग पर कुचला हुआ जख्म 02 x 02 सेमी. आकार का था तथा चोट संख्या-2 सिर के दांये पैराईटल भाग पर टांके लगा जख्म 6 x 1/2 सेमी. आकार का था तथा जिसके किनारे लगातार थे। चोट संख्या-1 कुंद हथियार से कारित थी तथा चोट संख्या-2 धारदार हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 है तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है। दोनों चोटें साधारण प्रकृति की होना पाई गयी थी।

28. उसी दिन गुरनाम सिंह की चोटों का मुआयना किया था, जिसके शरीर पर कुल 02 चोटें थी, जिनमें से चोट संख्या-1 सिर के मध्य पैराईटल भाग में टांके लगा जख्म जो 6 x 1/2 सेमी आकार का था, जिसके सिरे लगातार थे तथा चोट संख्या-2 सिर में फ्रंटल भाग के बाई तरफ पंचर्ड जख्म था, जो 1/2 x आधा सेमी आकार का था तथा जिसके सिरे अंदर की ओर धंसे थे। चोट संख्या-1 धारदार हथियार से कारित थी तथा दूसरी चोट के लिए हथियार निर्धारित नहीं किया जा सका। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 है तथा एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है। चोट संख्या-1 व 2 साधारण प्रकृति की पाई गयी थी। चोट संख्या-2 गन शॉट द्वारा कारित होना पाई गयी थी।

29. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि गुरनाम सिंह के चोट प्रतिवेदन में चोट नं.2 का हथियार उस वक्त तय नहीं हो पाया, जिसका एक्स-रे के आधार पर गन शॉट से होना बताया गया। मजरूबान कृपाल कौर, जितेन्द्र सिंह व गुरनाम के कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया गया।

30. पी.ड.15 डॉक्टर विशांत जैन अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देता है कि वह दिनांक 27.05.2018 को सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र, नौगांवा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन उसने बलविन्दर सिंह का चोट प्रतिवेदन तैयार किया था, जिसके शरीर पर कुल 03 चोटें पाई गयी थी, जिनमें से चोट संख्या-1 सिर के पीछे बांये टैम्पोरल पर 2 x 1/2 इंच कट, चोट संख्या-2 सिर के पीछे दांये टैम्पोरल पर 2 x 1/2 इंच व चोट संख्या-3 सिर के पीछे दांये टैम्पोरल पर 2 x 1/2 इंच की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 है,

जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

31. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि किसी कठोर धरातल पर गिरने या पडने से ऐसी चोटों के आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

32. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्ष्य में गवाह पी.ड.14 सुरेश कुमार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जो अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य देता है कि वह दिनांक 27.05.2018 को पुलिस थाना-नौगांवा में हैड कांस्टेबल पदस्थापित था। उस दिन एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 परिवादी बलविन्दर सिंह ने पेश की थी, जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी-2 है। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान के कहे अनुसार उनके बयान लेखबद्व किये। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया। मजरूबान बलविन्दर सिंह का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4, जितेन्द्रसिंह का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 है, कृपाल कौर का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 है तथा मजरूब गुरनामसिंह का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 है। जितेन्द्रसिंह की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 व कृपाल कौर की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है। आरर्मोरर मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है। फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त हरपालसिंह प्रदर्श पी-11 है। अभियुक्त जसवंतसिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-12 है। अभियुक्त बेअंतसिंह की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी-13 है। अभियुक्तगण जसवंतसिंह, बेअंतसिंह व हरपालसिंह द्वारा धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दी गई ईत्तिला क्रमशः प्रदर्श पी-14, 15 व प्रदर्श पी-16 है। फर्द बरामदगी व जब्ती एक बंदूक 12 बोर बाकब्जा अभियुक्त जसवंतसिंह प्रदर्श पी-17 है। फर्द जब्ती व बरामदगी एक बांस की लाठी बाकब्जा अभियुक्त बेअंतसिंह प्रदर्श पी-18 है। फर्द जब्ती व बरामदगी एक कसिया बाकब्जा अभियुक्त बेअंतसिंह प्रदर्श पी-19 है तथा नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-20 है, जिन सभी फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रसीद प्रदर्श पी-21 है।

33. अनुसंधान अधिकारी की यह भी साक्ष्य रही है कि उसने अनुसंधान से अभियुक्तगण जसवंतसिंह, बेअंतसिंह व हरपालसिंह के विरूद्व धारा 341, 323, 324, 307, 308, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध प्रमाणित पाये तथा अभियुक्त जसवंत सिंह के विरूद्व धारा 7/8

आर्म्स एक्ट का भी अपराध प्रमाणित पाया गया। चार्जशीट पर थानाधिकारी, मोहनसिंह के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह पहचानता है। साक्ष्य के दौरान न्यायालय में एक सफेद कपडे की थैली खोलने पर उसमें एक बंदूक 12 बोर की एकनाली, जिस पर लकडी का बट लगा हुआ था, मिली, जिसकी लम्बाई 12 इंच है तथा लोहे की नाल की लम्बाई 2 फुट 8 इंच है, जिसस पर टेगरगार्ड लगा है। नाल के नीचे लकडी का सपोर्ट है, जिसकी लंबाई 8 इंच है। नाल व बट पर सीलिंग के बोल्ट लगे है तथा घोडे पर नाल है। बंदूक पर आर्टिकल-1 डाला गया। आर्टिकल-2 बांस की लाठी खुली अवस्था में पेश हुई, जिसकी लंबाई 6 फुट व 9 गांठे हैं। आर्टिकल-3 एक कसिया लोहे का था, जिसकी लंबाई 5 इंच है, ऊपर से चौडाई 1 इंच है तथा नीचे की चौडाई ढाई इंच है, जिस पर बांस की लकडी लगी है, जिसकी लंबाई 4 फुट 9 इंच है।

34. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि इस मुकदमा का क्रॉस केस इसी न्यायालय में चल रहा है, जिसकी तफतीश भी उसने की है। रिपोर्ट बलविन्दर ने लिखाई थी। जिसके चोट लगी, वह थाना पर नहीं आया, अस्पताल में ही था।

35. गवाह पी.ड.10 शिवचरण पुलिस कांस्टेबल है और गिरफतारी का गवाह है, जो अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य देता है कि दिनांक 01.07.2018 को मु.नं.-147/2018 में अभियुक्तगण हरपालसिंह, जसवंत सिंह व बेअंत सिंह को जरिये फर्द क्रमशः प्रदर्श पी-11, 12 व प्रदर्श पी-13 गिरफ्तार किया था, जिन फर्दात पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुलजिमान को उसके सामने थाना पर गिरफतार किया गया था।

36. गवाह पी.ड.11 दयासिंह एवं पी.ड.13 भूपेन्द्र सिंह बरामदगी के गवाहन हैं, जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते हैं कि दिनांक 02.07.2018 को एक बंदूक 12 बोर उनके समक्ष बरामद की गई थी, जो प्रदर्श पी-17 है। फर्द जब्ती व बरामदगी एक लाठी बांस प्रदर्श पी-18 है तथा फर्द बरामदगी एक कसिया लोहा प्रदर्श पी-19 है। उसी दिन नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-20 बनाया था, जिन सभी फर्दात पर उनके हस्ताक्षर हैं।

37. गवाह पी.ड.11 दयासिंह अपने प्रतिपरीक्षण में कथन करता है कि बरामदगी मुलजिमान के घर पर बनाई गई थी, जो मुलजिम जसवंत का घर था। गवाह पी.ड.13 भूपेन्द्र सिंह प्रतिपरीक्षण में साक्ष्य देता है कि बारह बोर बंदूक मुलजिम जसवंत के कमरे से, लाठी बेअंत के छप्पर से और कसिया मुलजिम हरपाल के छप्पर से बरामद हुये थे।

38. गवाह पी.ड.9 रविन्द्र कुमार आर्मोरर है, जो अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि वह दिनांक 10.07.2018 को आरर्मोर वर्कशॉप, पुलिस लाईन, अलवर में कार्यरत था। उस दिन थाना-नौगांवा से सुरेश कुमार हैड कांस्टेबल नम्बर-820 मु.नं.-147/2018 में जब्तशुदा बंदूक का मुआयना कराने के लिए पुलिस लाईन, अलवर में हाजिर आया था। बंदूक मार्का-"ए" पैकेट खोलकर मुआयना किया। एक बंदूक 12 बोर ईकनाली देशी बनी हुई थी। उसके ऊपर किसी फैक्ट्री का रजिस्टर नम्बर व प्रूफ मार्का अंकित नहीं था। बंदूक का एक्सन मैकेनिजम ठीक काम कर रहा था। बंदूक से फायर करने पर फायर होना संभव था, बंदूक फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है। 12 बोर अवर्जित बोर है। बंदूक से फायर हुआ या नहीं, इसकी रिपोर्ट एफ.एस.एल. जयपुर से प्राप्त करनी होती है। बाद मुआयना अनसील्ड हालत में वापस आमदा हैड कांस्टेबल को पुनः सील्ड कर मार्का-ए1 अंकित कर संभलवाई। आरर्मोरर रिपोर्ट प्रदर्श पी-11 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

39. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जब्तशुदा बंदूक से अंतिम बार फायर कब हुआ था, इसकी रिपोर्ट एफ.एस.एल. जयपुर से प्राप्त करनी होती है।

40. गवाह पी.ड.12 राजेश कुमार जाटव एफ.एस.एल.जयपुर में माल जमा करवाने का गवाह है, जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 16.07.2018 को मु.नं. 147/2018 में एफएसएल जयपुर में जमा कराने हेतु एक माल सील्ड अवस्था में बंदूक 12 बोर एकनाली को वास्ते परीक्षण जमा कराई थी, जिसकी प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी-21 है।

41. प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जो माल एफ.एस.एल. लेकर गया था वह आज हाजिर अदालत नहीं है। उसके द्वारा कोई हथियार जब्त नहीं किया गया और न ही उसके सामने जब्त किया गया। सीलशुदा बंद

पैकिट में क्या था, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

42. उपर्युक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से अभियोजन पक्ष का मामला यह रहा है कि दिनांक 27.05.2018 को सुबह करीब 06.00 बजे मजरूब गुरनाम सिंह परचून की दुकान खोलने के लिए गये थे और उसकी पत्नी मजरूबा कृपाल कौर वहीं दुकान के पास झाडू लगा रही थी तभी अभियुक्तगण आये और मजरूबान से गाली-गलौच करने लगे, मना करने पर अभियुक्त जसवंतसिंह के पास बंदूक थी, जिसने आते ही मजरूब गुरनाम सिंह के ऊपर बंदूक से गोली चलाई, जो उसके सिर पर लगी। अन्य मुलजिमान ने भी लाठी, कसिया से मजरूबान गुरनाम सिंह, बलविन्दर सिंह, जितेन्द्र सिंह व कृपाल कौर के साथ मारपीट की थी।

43. इसी क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मजरूबान पी.ड.1 बलविन्दर सिंह, पी.ड.2 जितेन्द्र सिंह, पी.ड.3 कृपाल कौर एवं पी.ड.4 गुरनाम सिंह की साक्ष्य में पी.ड.1 बलविन्दर सिंह की यह साक्ष्य रही है कि जसवंतसिंह के पास बंदूक थी, जिसने आते ही उसके पिता के ऊपर बंदूक से गोली चलाई, जो पिताजी के सिर पर लगी। अभियुक्त हरपालसिंह द्वारा भी उसके माता-पिता पर कसिया और फर्सी से वार किया जाना बताया है, जिससे उसकी माताजी के सिर में दो जगह चोट आई। बेअंतसिंह ने उसके भाई जितेन्द्रसिंह के सिर पर कसिये से मारी। उसके जसवंतसिंह व हरपाल ने कसिया व फर्सी से सिर पर मारी। मजरूब पी.ड.2 जितेन्द्र सिंह की यह साक्ष्य रही है कि जसवंतसिंह ने उसके पिताजी के सिर में बंदूक से गोली मारी, जिससे उसके पिताजी गिर गये। बंदूक की गोली का छर्रा उनके सिर में लगा। कसिया व फर्सी से जसवंतसिंह और हरपालसिंह ने उसके भाई बलविन्दर के सिर में मारी। जैसे ही वह बीच-बचाव कराने आया तो बेअंतसिंह ने उसके सिर पर कसिये से मारी तथा अन्य अभियुक्तगण ने भी उनके ऊपर लाठी, फर्सी, डण्डे व बंदूक से मारना शुरू कर दिया। मजरूबा पी.ड.3 कृपाल कौर ने यह साक्ष्य दी है कि जसवंतसिंह ने बंदूक की उसके पति गुरनाम सिंह के सिर में मारी। इतनी देर में जब वह बीच-बचाव कराने गई तो उसका पति खडा होने लगा तो हरपालसिंह ने उसके पति के सिर में फर्सी की मारी। फिर वह बीच-बचाव के लिए गई तो उसके हरपाल ने कसिया से सिर पर मारी व

हरमीत ने बरसी से सिर पर मारी। लडका बलविन्दरसिंह बीच-बचाव कराने आया तो उसके जसवंतसिंह ने कसिया से सिर पर मारी व हरपाल ने भी सिर पर फर्सी की मारी। जितेन्द्र सिंह बीच-बचाव कराने आया तो बेअंतसिंह ने कसिया से सिर पर मारी। मजरूब गुरनाम सिंह पी.ड.4 ने बताया कि जसवंत सिंह ने बंदूक से उसके ऊपर फायर किया, जिससे बंदूक की गोली उसके सिर में लगी। अन्य मुलजिमान ने भी मजरूबान के साथ लाठी, कसिया आदि से मारपीट की थी।

44. इस प्रकार उक्त चारों मजरूबान अपनी साक्ष्य में जसवंत सिंह द्वारा मजरूब गुरनाम सिंह के सिर में बन्दूक से गोली मारना व अन्य अभियुक्तगण बेअंत सिंह व हरपाल सिंह द्वारा भी अभियुक्त जसवंत के साथ मिलकर सभी मजरूबान के साथ कुन्द व धारदार हथियार से चोट कारित करना कहते हैं। इस संबंध में मजरूबान के चोट प्रतिवेदनों का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड.8 डॉक्टर रवि माथुर ने मजरूबान गुरनाम सिंह, जितेन्द्र सिंह व कृपाल कौर के चोट प्रतिवेदन व एक्स-रे रिपोर्ट को अपनी साक्ष्य से साबित किया है तथा गवाह पी.ड.15 डॉक्टर विशांत जैन ने अपनी साक्ष्य से मजरूब बलविन्दर के चोट प्रतिवेदन को साबित किया है।

45. गवाह पी.ड.8 डॉक्टर रवि माथुर ने मजरूब जितेन्द्र सिंह के दो चोटें बताई हैं, जिनमें एक चोट सिर के मध्य पैराइटल भाग में तथा दूसरी चोट बांये कंधे पर है। सिर की चोट धारदार हथियार से व बांये कंधे की चोट कुन्द हथियार से कारित होना और दोनों चोटें साधारण प्रकृति की होना बताते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 व एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

46. मजरूबा कृपाल कौर के भी सिर में दो चोटें होना बताया गया है, जिनमें एक चोट सिर में दांई फ्रंटो पैराइटल भाग पर कुन्द हथियार से एवं दूसरी चोट सिर के दांये पैराइटल भाग पर धारदार हथियार से कारित होना बताते हुए साधारण प्रकृति की होना बताया गया है और चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-6 व एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

47. मजरूब गुरनाम सिंह के सिर में दो चोट होना बताया गया है जिमें एक चोट सिर के मध्य पैराइटल भाग पर धारदार हथियार से व दूसरी सिर में फ्रंटल भाग के बांई तरफ होना बताया है और एक्स-रे

प्लेटस के आधार पर उक्त चोट को "गन शॉट" से कारित होना बताया है तथा चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-7 व एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

48. गवाह पी.ड.15 डॉक्टर विशांत जैन ने मजरूब बलविन्दर के सिर पर तीन चोटें कुंद हथियार से कारित होना बताया है, जिनमें दो चोट सिर के पीछे दांये टेम्पोरल पर और एक चोट सिर के पीछे बांया टेम्पोरल पर साधारण प्रकृति की होना बताते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

49. चश्मदीद गवाहान में पी.ड.5 मलकीत सिंह अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त जसवंत सिंह के हाथ में बन्दूक होना और गुरनाम सिंह को जमीन पर गिरा पडा होना तथा अन्य अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ कुन्द व धारदार हथियार से मारपीट होना कहता है। लेकिन प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि जब गोली चली वह सो रहा था, उसने गोली चलाते हुए किसी को नहीं देखा, आवाज सुनाई दी थी। इस प्रकार यह गवाह गोली की आवाज सुनाई देने पर घटनास्थल पर आया था और उसके बाद हुई घटना का उल्लेख करता है। चश्मदीद गवाह पी.ड.6 परमजीत सिंह अपनी साक्ष्य में गुरनाम सिंह व जसवंत सिंह के परिवार के मध्य झगडा होना और जसवंत द्वारा बंदूक से फायर करने पर गुरनाम सिंह को छर्रे लगना तथा अन्य अभियुक्तगण द्वारा मजरूबान के साथ कुन्द व धारदार हथियार से मारपीट करना कहता है। प्रतिपरीक्षण में भी यह कहता है कि गुरनाम सिंह के छर्रे माथे पर लगे थे। अन्य चश्मदीद साक्षी पी.ड.7 सतीश खान पक्षद्रोही हुआ है और अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करता है।

50. प्रकरण में गवाह पी.ड.10 शिवचरण ने अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण हरपाल सिंह, जसवंत सिंह व बेअंत सिंह की गिरफतारी प्रदर्श पी-11 लगायत प्रदर्श पी-13 व अभियुक्तगण द्वारा दी गई इत्तिला प्रदर्श पी-14 लगायत प्रदर्श पी-17 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। गवाह पी.ड.11 दयासिंह एवं पी.ड.13 भूपेन्द्र सिंह ने अपनी साक्ष्य से अभियुक्त जसवंत सिंह से फर्द जब्ती व बरामदगी एक बंदूक 12 बोर प्रदर्श पी-17, अभियुक्त बेअंत सिंह से फर्द जब्ती व बरामदगी एक लाठी बांस प्रदर्श पी-18 है तथा अभियुक्त हरपाल सिंह से फर्द बरामदगी एक कसिया लोहा प्रदर्श पी-19 व नक्शा मौका

बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-20 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

51. गवाह पी.ड.9 रविन्द्र कुमार आर्मोरर ने अपनी साक्ष्य से प्रकरण में जब्तशुदा एक बन्दूक 12 बोर का मुआयना किया और यह पाया है कि बंदूक का एक्सन मैकेनिजम ठीक काम कर रहा था, बंदूक से फायर करने पर फायर होना संभव था। बन्दूक फायर आर्म्स की श्रेणी में आती है और 12 बोर अवर्जित बोर है और रिपार्ट प्रदर्श पी-11 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। इसके अलावा पत्रावली पर उक्त बरामद शुदा एक 12 बोर बन्दूक की एफ.एस.एल. रिपोर्ट कोर्ट प्रदर्श-1भी उपलब्ध है, जिसके अलवकोन से भी यह तथ्य साबित होता है कि एक देशी निर्मित 12 बोर से फायरिंग की गई थी।

52. यहां यह भी विवेचित किया जाता है कि इसी प्रकरण के साथ-साथ ही क्रोस केस सरकार बनाम बलिवन्दर सिंह वगैरह अन्तर्गत धारा 323, 341 भा.दं.सं. का भी निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रकरण में घटनास्थल नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 से यह तथ्य प्रमाणित है कि यह झगडा परिवादी बलिवन्दर सिंह की दुकान पर हुआ है। जिसके आसपास कहीं भी अभियुक्तगण की दुकान, मकान व खेत वगैरह नहीं हैं। क्रोस केस सरकार बनाम बलविन्द्र वगैरह में परिवादी जसवंत सिंह जो कि इस प्रकरण में अभियुक्त है, ने अपने परिवाद पत्र में यह बताया है कि वह अपने खेतों पर काम करने के लिये जा रहा था तब रास्ते में रोककर इस प्रकरण के परिवादी पक्ष द्वारा जसवंत सिंह व उसके दोनों पुत्र हरपाल व हरमीत के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में यह विवेचित किया जाता है कि अभियुक्तगण से घातक हथियार बन्दूक, कसिया, लाठी वगैरह की बरामदगी हुई है, जिसमें एक बन्दूक 12 बोर अभियुक्त जसवंत से जब्त की गई है। क्रोस केस के परिवाद पत्र के अनुसार यदि जसवंत सिंह खेत में काम करने के लिये जा रहा था तो सिर्फ यह माना जा सकता है कि लाठी, कसिया कृषि कार्य के लिये काम में आ सकते हैं, लेकिन अपने साथ बंदूक लेकर क्यों जा रहा था, इसका बचाव पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण अपने सामान्य आशय की पूर्ति में परिवादी पक्ष के साथ मारपीट करने के लिये घातक हथियार लेकर घटनास्थल जो कि परिवादी पक्ष की दुकान का है, पर पहुंचे थे और

अभियुक्तगण ही घटना कारित करने के लिये अग्रेसर पक्ष था और यह मामला फ्री-फाईट का नहीं माना जा सकता है और न ही यह झगडा अचानक हुआ है, अभियुक्तगण का पूर्व नियोजित था।

53. विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस मुख्य तर्क यह रहा है कि तहरीरी रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि अभियुक्त जसवंत सिंह द्वारा आहत गुरनाम सिंह के ऊपर बंदूक से फायर कर चोटें पहुंचाई गई हों और न ही गवाहान के धारा 161 द.प्र.सं. के बयानों में उक्त तथ्य दर्ज है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त जसवंत सिंह द्वारा आहत गुरनाम सिंह के ऊपर बंदूक से फायर कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया हो। इस संबंध में विवेचित किया जाता है कि यह सही है कि तहरीरी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित नहीं है कि अभियुक्त जसवंत सिंह ने आहत गुरनाम सिंह के ऊपर बंदूक से फायर किया हो, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के समस्त तथ्यों का समावेश किया जाना आवश्यक नहीं होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट मात्र घटना घटित होने के संबंध में इत्तिला मात्र होती है। प्रथम तो दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्त जसवंत सिंह से घटना में प्रयुक्त बंदूक जब्त की गई है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत परिवादी बलवंत सिंह पी.ड.1, मजरूबान पी.ड.2 जितेन्द्र सिंह, मजरूबा पी.ड.3 कृपाल कौर, स्वंय मजरूब पी.ड.4 गुरनाम सिंह, चश्मदीद गवाह पी.ड.6 परमजीत सिंह सभी ने अपनी साक्ष्य में एकरूपता से यह साक्ष्य दी है कि घटना के दौराने अभियुक्त जसवंत सिंह द्वारा मजरूब गुरनाम सिंह पर फायर किया गया था। उक्त साक्ष्य का बचाव पक्ष किसी भी प्रकार से खण्डन नहीं कर पाया है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान अधिवक्ता की यह आपत्ति आधारहीन पायी जाती है।

54. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण अपने सामान्य आशय की पूर्ति में मौके पर पहुंचे थे और बिना किसी के उकसाए उनके द्वारा घटना कारित की गई और जिसमे बंदूक, कुन्द व धारदार हथियार का भी प्रयोग हुआ और मजरूबान के साथ धारदार हथियार से और कुंद हथियारों से कई चोटें कारित की गई। मजरूबान के सिर पर धारदार व कुंद हथियार की चोटें हैं और बार-बार वार किए गए। मजरूब गुरनाम सिंह के सिर

पर 12 बोर बन्दूक से फायर किया गया है और उसके सिर में "गन शॉट" से चोटें कारित हुई है। इससे प्रकट होता है कि अभियुक्तगण घातक हथियार से लैस थे और मजरूबान के साथ जान लेवा हमला कर मल्टीपल चोटें कारित कर गंभीर रूप से मारपीट की गयी है। मजरूबान के कारित चोटों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट, एफ.एस.एल. रिपोर्ट कोर्ट प्रदर्श-1 एवं चिकित्सकीय साक्ष्य से होती है। मजरूबान के बयानों में अभियुक्तगण द्वारा चोटें कारित करने के संबंध में थोडा विरोधाभास आया है, लेकिन यह ऐसा विरोधाभास नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित कर सके।

55. प्रकरण में अभियुक्तगण पर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में साशय एवं ज्ञानपूर्वक आहत गुरनाम सिंह के ऊपर अभियुक्त जसवन्त सिंह द्वारा बन्दूक 12 बोर से फायर कर आहत गुरनाम सिंह की हत्या का प्रयास करने का आरोप (धारा 307/34 भा.दं.सं.) है तथा अभियुक्तगण पर यह भी आरोप है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिये साशय एवं ज्ञानपूर्वक यह जानते हुए कि मारपीट से आहत गुरनाम सिंह की मृत्यु हो सकती है, आहत के साथ मारपीट की और आहत गुरनाम सिंह की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या न होने वाले आपराधिक मानव वध (धारा 308/34 भा.दं.सं.) के दोषी होते। इस प्रकार अभियुक्तगण पर आहत गुरनाम सिंह के कारित चोटों के संबंध में धारा 307/34 भा.दं.सं. एवं धारा 308/34 भा.दं.सं. दोनों ही आरोप लगाये गये हैं। प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति में आहत-गुरनाम सिंह के सिर में बंदूक 12 बोर से फायर कर जानलेवा हमला कर हत्या कारित करने का प्रयास करने का आरोप धारा 307/34 भा.दं.सं. संदेह से परे प्रमाणित होने से अभियुक्तगण को धारा 308/34 भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

56. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति में बन्दूक, कसिया, लाठी आदि से लैस होकर मजरूबान बलविन्दर सिंह, जितेन्द्र सिंह, कृपाल कौर एवं गुरनाम सिंह को स्वेच्छया पूवर्क रोककर उनका सदोष अवरोध कारित किया एवं आहतगण के साथ कुंद व धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया

साधारण उपहति कारित की और अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति में आहत-गुरनामसिंह के सिर में बंदूक 12 बोर से फायर कर जानलेवा हमला कर हत्या कारित करने का प्रयास किया गया। तथा अभियुक्त जसवंत के रिहायशी मकान के कमरे में से उसके चैतन्य व अनन्य कब्जे से एक बंदूक 12 बोर बिना वैधअनुज्ञापत्र के बरामद हुई।

57. अतः उक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त जसवंत सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34, 324/34, 307/34 भा.दं.सं. एवं धारा 7/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण बेअंत सिंह व हरपाल सिंह के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34, 324/34, 307/34 भा.दं.सं. संदेह से परे प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण को उक्त आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(रिद्धिमा शर्मा)

<u>सजा के बिन्दु पर सुना गया-</u>

58. सजा के प्रश्न पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का कथन है कि अभियुक्तगण काफी समय से अंवीक्षा भुगत रहे हैं। परिवादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के साथ भी मारपीट की गई है, जिसका क्रोस केस भी है।ऐसी स्थिति में नरमी का रूख रखा जावे।

59. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को कडा दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

60. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त जसवंत सिंह द्वारा सामान्य आशय की पूर्ति में मजरूब गुरनाम सिंह पर 12 बोर बन्दूक से सिर में फायर किया है और अभियुक्तगण के द्वारा मजरूबान के साथ सामान्य आशय की पूर्ति में घातक हथियारों से लैस होकर जानलेवा हमला कर कुंद व धारदार हथियार से मल्टीपल चोटें कारित की गयी हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार अभियुक्त जसवंत सिंह के विरूद्ध पांच प्रकरण, अभियुक्तगण बेअन्त सिंह व हरपाल सिंह के विरूद्ध दो-दो प्रकरण दर्ज होना अंकित है। अभियोजन पक्ष ने यह तथ्य भी बताया है कि अभियुक्त जसवंत सिंह पुलिस थाना नौगांवा का हिस्ट्रीशीटर है। मामले में अभियुक्तगण ही घटना कारित करने के लिये

अग्रेसर पक्ष रहा है। अतः अभियुक्तगण के द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्तगण के निम्न प्रकार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-आ दे श-

61. अतः अभियुक्तगण **जसवंत सिंह** पुत्र करतार सिंह, **बेअन्त सिंह** पुत्र करतार सिंह एवं **हरपाल सिंह** पुत्र जसवंत सिंह, निवासीगण पाटा, पुलिस थाना नौगांवा, जिला अलवर (राजस्थान) को धारा 308/34 भा.दं.सं. के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त **जसवंत सिंह** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34, 324/34, 307/34 भा.दं.सं. एवं धारा 7/25 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्तगण **बेअंत सिंह** व **हरपाल सिंह** को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34, 324/34, 307/34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध किया जाकर निम्न प्रकार दण्डित किया जाता है-

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 341 भा.दं.सं. के अपराध में एक-एक माह का साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है।

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 323/34 भा.दं.सं. के अपराध में एक-एक साल का साधारण कारावास एवं एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण करावास भुगतेंगे।

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 324/34 भा.दं.सं. के अपराध में दो-दो साल का साधारण कारावास एवं तीन-तीन हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण करावास भुगतेंगे।

प्रत्येक अभियुक्त को धारा 307/34 भा.दं.सं. के अपराध में दस-दस साल का साधारण कारावास एवं दस-दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड दो-दो माह का अतिरिक्त साधारण करावास भुगतेंगे।

अभियुक्त जसवंत सिंह को धारा 7/25 आयुध अधिनियम के अपराध में सात साल का साधारण कारावास एवं पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

सभी मूल सजाऐं साथ-साथ चलेंगी। अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि उनकी मूल सजा में समायोजित होगीं। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके बाबत हाजिरी अदालत निरस्त किये जाते हैं तथा उनका सजा वारण्ट बनाया जावे।

प्रकरण में जब्तशुदा लाठी, कसिया आदि को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। तथा 12 बोर बन्दूक को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार जिला शास्त्रागार में जमा किया जावे। नकल निर्णय अभियुक्तगण को निःशुल्क दिलायी गयी।

(रिद्धिमा शर्मा)

62. निर्णय आज दिनांक 04-08-2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रिद्धिमा शर्मा)